



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण 1943 (श10)

(सं0 पटना 703) पटना, बुधवार, 18 अगस्त 2021

सं0 पि०व०/पो०मै०छा०-36-10/2017/1295

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

16 अगस्त 2021

विषय :- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-12013/03/2020-BC-1 दिनांक-17.07.2020 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्तमान में निर्धारित अधिकतम पारिवारिक वार्षिक आय अधिसीमा रू0 1.50 लाख (रू0 एक लाख पचास हजार) मात्र को बढ़ाकर रू0 2.50 लाख (रू0 दो लाख पचास हजार) मात्र वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने की स्वीकृति ।

राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर देश के अन्दर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित है। इस योजना के तहत विधिवत् मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है।

2- वर्तमान में विभागीय संकल्प संख्या-321 दिनांक- 05.02.2019 के आलोक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार विभागीय संकल्प संख्या-590 दिनांक-27.03.2017 एवं 844 दिनांक-11.04.2018 द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर निर्धारित दर पर अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।

3- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-12013/03/2020- BC-1 दिनांक-17.07.2020 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पात्रता के संबंध में वर्तमान में निर्धारित अधिकतम पारिवारिक वार्षिक आय अधिसीमा रू0 1.50 लाख (रू0 एक लाख पचास हजार) मात्र को बढ़ाकर रू0 2.50 लाख (रू0 दो लाख पचास हजार) मात्र वार्षिक किया गया है। इस योजनान्तर्गत सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देश के आलोक में छात्रवृत्ति स्वीकृत की जायेगी।

4— सम्यक् विचारोपरान्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-12013/03/2020- BC-1 दिनांक-17.07.2020 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्तमान में निर्धारित अधिकतम पारिवारिक वार्षिक आय अधिसीमा रू0 1.50 लाख (रू0 एक लाख पचास हजार) मात्र को बढ़ाकर रू0 2.50 लाख (रू0 दो लाख पचास हजार) मात्र वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

5— प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार,
सचिव।

File No.12013/03/2020-BC-I
Government of India
Ministry of Social Justice and Empowerment
Dept. of Social Justice and Empowerment BC Division

Shastri Bhawan, New Delhi
 17/07/2020

TO,

The Secretaries/Principal Secretaries
Social/OBC Welfare Department
States/ UTs (as per standard list)

Subject: Revised income eligibility criteria in various scholarship schemes for OBC/EBC/ DNT- reg.

Sir/Madam,

I am directed to convey Ministry's decision for change in income criteria for different scholarship schemes of OBC/EBC/DNT for the current FY 2020-21 as below.

S.No.	Scheme	Existing Income Criteria	New Income Criteria
1.	Post Matric Scholarship for OBC	Rs. 1.50 lakh	Rs. 2.50 lakh
2.	Dr. Ambedkar Post Matric Scholarship for EBC	Rs. 1.00 lakh	Rs. 2.50 lakh
3.	Dr. Ambedkar Pre and Post Matric Scholarship for DNT	Rs. 1.00 lakh	Rs. 2.50 lakh

2. It is informed that no committed liability beyond the approved financial outlay would be made available to the States by Central Government. Further, existing scheme guideline shall be followed for its implementation. Due to funds-limited nature of the scheme, expenditure incurred while covering the additional beneficiaries due to revised income criteria will be borne by State Government in each of the above scheme. **The matter has been concurred by Ministry of Finance.**

3. It is requested that new income criteria may be advertised for seeking application from beneficiaries under the above said schemes in 2020-21.

4. This has approval of Honorable Minister of Social Justice & Employment.

Yours sincerely,

Dayanand Kumar,

Under Secretary to the Govt. of India.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 703-571+1500-डी0टी0पी0
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>